


3-12-21) पत्रावली पेश हुई। वकील वादी एवं वादीपण
स्वयं अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी उपस्थित।
सायं 5-30 बजे चुके हैं। बार-बार आवाज
दिलवाए गयी। बार-बार आवाज दिलवाने
के बावजूद वादी एवं वकील वादी में से कोई
उपस्थित नहीं। अतः अदम हाजरी। अदम
फैरवी में वादी का वाद खारेज किया
जाता है।

पत्रावली फ़ैसल नुमांर लेकर नम्बर
से कम है।


उपखण्ड अधिकारी
रूपनगढ़ (अजमेर)

